

छत्तीसगढ़ शासन

वित्त, वाणिज्यिक कर, योजना, आर्थिक एवं सांस्थिकी
तथा 20 सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग

मंत्रालय

अधिसूचना

साप्तपुर, दिनांक 12.11.2001

क्रमांक एफ- 10 /392/2001/वाक्यांच(71) - चूंकि राज्य शासन द्वारा यह समाधान हो गया है कि
लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है

अतएव केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 (क्रमांक 74 सन 1956) की धारा 8 की उपधारा (६) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतदद्वारा, नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (२) में विनिर्दिष्ट माल के वर्ग को उक्त अधिनियम के अधीन, कॉलम (३) में वर्णित सीमा तक, दिनांक 10 अगस्त 2001 से 31 मार्च 2002 तक के लिए कॉलम (४) में विनिर्दिष्ट निर्बन्धन तथा शर्तों के अध्यधीन रहते हुए कर के भुगतान से छूट प्राप्तन करती है, अर्थात् :-

अनुसूची

अ.क्र.	माल का वर्ग	छूट की सीमा	निर्बन्धनों एवं शर्तों जिसके अधीन
(1)	(2)	(3)	(4)
1	केन्द्रीय विक्रय कर धारा 8(2) के अधीन अधिनियम, 1956 सम्पूर्ण कर। (क्रमांक 74 सन 1956) की धारा 14 के खण्ड (चार) के प्रवर्ग (चार) तथा (पाच) में वर्णित लोहा तथा स्पात तथा (छः) में वर्णित हूप्स तथा स्ट्रिप्स, एवं इनके छोर की कटिंग्स।	जबकि माल का विक्रय प्रयोगत व्यवसायी द्वारा किया जाए जो कर निर्धारण के सामय कर निर्धारण अधिकारी को यह समाधान करा दे कि :-	(क) माल का निर्माण छत्तीसगढ़ में स्वयं की स्टील रोलिंग मिल में किया गया।

(ख) उक्त माल केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 की धारा 14 के खण्ड (दो) के प्रवर्ग (दो) तथा (सोलह) में वर्णित माल, जिस पर छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर अधिनियम, 1994 (क्रमांक 5 सन 1995) की धारा 9 के अधीन 2 प्रतिशत से कर द्युका हुआ था, से निर्मित किया गया है।

2 केन्द्रीय विक्रय कर अंशतः इस प्रकार कि जबके माल का विक्रय की गयत व्यवसायी द्वारा किया अधिनियम, 1956 जिससे धारा 8(2) के जाए जो कर निर्धारण के समय कर निर्धारण अधिकारी (क्रमांक 74 सन् 1956) की धारा 14 घटकर 2 प्रतिशत हो अधीन कर की दर को यह समाधान करा दे गिए । (क) माल का निर्माण छत्तीसगढ़ में स्वयं की स्टील के खण्ड (चार) के जाये ।

प्रवर्ग (चार) तथा (पांच) में वर्णित लोहा तथा स्पात तथा (छ:) में वर्णित हूप्स तथा स्ट्रिप्स, एवं इनके छोर की कटिंग्स ।

3 केन्द्रीय विक्रय कर धारा 8(2) के अधीन अधिनियम, 1956 सम्पूर्ण कर। (क्रमांक 74 सन् 1956) की धारा 14 के खण्ड (चार) के प्रवर्ग (दो) तथा (सोलह) में वर्णित लोहा, जिनका क्रय ऐसी परिस्थितियों में किया जाया है, जिसमें छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर अधिनियम, 1994 की धारा 9 के अधीन कर का भुगतान नहीं किया जाया है, से निर्मित किया गया ।

(1) जबकि अधिनियम के अधीन पंजीयत व्यवसायी द्वारा विक्रय किया जाये और छूट का दावा करने वाला ऐसा व्यवसायी कर निर्धारण के समय उस माल के विक्रय के संबंध में अधिसूचना क्रमांक एफ- 10 / 392 / 2001 / वाक/पांच (70), 12.11.2001 दिनांक से विनिर्दिष्ट संलग्न आरप क-2 में, उस माल का निर्माण करने वाले अथवा ऐसे माल का पश्चात्वर्ती क्रय करने वाले पंजीयत व्यवसायी द्वारा निम्न प्रैस (2) में विनिर्दिष्ट रीति में जारी घोषणा पत्र प्रत्युत्तर करता है ।

(2) कालम (2) में विनिर्दिष्ट माल का निर्माण छत्तीसगढ़ में स्वयं की स्टील रोलिंग मिल में करने वाला पंजीयत व्यवसायी अथवा ऐसे माल का पश्चात्वर्ती विक्रय करने वाला पंजीयत व्यवसायी द्वारा घोषणा पत्र की 4 कार्बन प्रतिरिद्धि तैयार करेगा। मूलप्रति क्रेता पंजीयत व्यवसायी को दी जावेगी, घोषणा पत्र की दूसरी तथा तीसरी प्रति विक्रेता/क्रेता पंजीयत व्यवसायी के समुचित वाणिज्यिक कर अधिकारी को भेजी जावेगी और चतुर्थ प्रति घोषणा पत्र जारी

करने वाले व्यवसायी हूँ तो रखी जावेगी। रामुचित
वाणिज्यिक कर अधिकारी घोषणा पत्रों की प्रति
विक्रेता/क्रेता पंजीयत व्यवसायी के संबंधित अवधि
के कर निर्धारण प्रकरण में रखी जावेगी।

छत्तीसगढ़ के राजसभाल के नाम से
तथा आदेश नुसार



(के.आर.मिश्रा)

उप सचिव

Government of Chhattisgarh

FINANCE, COMMERCIAL TAX, PLANNING, ECONOMIC AND STATISTICS & 20-POINT PROGRAMME IMPLEMENTATION DEPARTMENT

MANTRALAYA

NOTIFICATION

Raipur, dated 12.11.2001.

No. F- 10 /332/2001/CT/V(71) - Whereas, the State Government is satisfied that it is necessary so to do in the public interest;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (5) of Section 8 of the Central Sales Tax Act, 1956 (No. 74 of 1956), the State Government hereby exempts the class of goods specified in column (2) of the schedule below from payment of tax under the said Act to the extent specified in column (3), for the period from 10th August, 2001 to 31st March 2002 subject to the restrictions and conditions specified in column (4) of the said schedule:


SCHEDULE

S.No.	Class of goods	Extent of exemption	Restrictions and conditions subject to which exemption is granted
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Iron and steel as specified in categories (iv), (v), (vi) of clause (iv) of section 14 of the Central Sales Tax Act, 1956 (No.74 of 1956) and end cuttings thereof	Whole of Tax	When sold by a dealer registered under the Adhiniyam who proves to the satisfaction of the assessing authority at the time of the assessment that : (a) the goods were manufactured by him in his own steel rolling mill in Chhattisgarh. (b) they were manufactured out of such goods belonging to category (ii) and (xvi) of clause (iv) of section 14 of the Central Sales Tax Act, 1956 that had borne tax at the rate of 2% under section 9 of Chhattisgarh Vanijyik Kar Adhiniyam 1994 (No.5 of 1995)
2	Iron and steel as specified in categories (iv), of tax under	Partly so as to reduce the rate of tax under	When sold by a dealer registered under the Adhiniyam who proves to the satisfaction of the assessing authority at

	(v) hoops section 8(2) to and strips 2% falling in category (vi) of clause (iv) of section 14 of the Central Sales Tax Act, 1956 (No.74 of 1956) and end cuttings thereof	the time of the assessment that : (a) the goods were manufactured by him in his own steel rolling mill in Chhattisgarh. (b) they were manufactured out of such goods belonging to category (ii) and (xvi) of clause (iv) of section 14 of the Central Sales Tax Act, 1956 that had been purchased in the circumstances in which no tax under section 9 of the Chhattisgarh Vanijyik Kar Adhiniyam 1994 (No.5 of 1995), was paid.
3	Iron and steel Whole of tax as specified in under section categories (iv) 8(2) (v) hoops and strips falling in category (vi) of section 14 of the Central Sales Tax Act, 1956 (No.74 of 1956) and end-cutting thereof	(1) When sold by a dealer registered under the Adhiniyam and such dealer in support of his claim for exemption in respect of the sale of the said goods furnishes, at the time of his assessment, to the assessing authority a declaration in the appended form A-2, as prescribed under notification No. F- 10 /392/ 2001/CT/V(70), dated 12.11.2001 issued to him by the dealer manufacturing the said goods or a subsequent selling registered dealer selling such goods in the manner specified in paragraph (2) below, (2) The registered dealer manufacturing the goods specified in column (2) in his own steel rolling mill in Chhattisgarh or a registered dealer subsequently selling such goods shall prepare four carbon copies of the said declaration. The original shall be issued to the purchasing registered dealer, the second and third copy of the declaration shall be sent by him to the appropriate

Commercial Tax Officer of the selling/purchasing registered dealer and the fourth copy shall be retained by the registered dealer issuing such declaration. The appropriate Commercial Tax Officer shall file the copy of the Declarations in the assessment case record for the relevant period of the selling/purchasing registered dealer.

By order and in the name of the Governor
of Chhattisgarh


(K. R. Misra)
Deputy Secretary